2009:CGHC:3320-DB

<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 3218/2009

याचिकाकर्ता: मेसर्स सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादीगण साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एण्ड अन्य

निर्णय के लिए विचारणीय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय **न्यायाधीश श्री आर. एन. चंद्राकर**

मैं सहमत हु।

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

आर. एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

निर्णय के लिए सूचीबद्ध : 18/08/2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र. 3218/2009

याचिकाकर्ता: मेसर्स सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी, द्वारा निदेशक श्री एच. बी. शाह, पिता स्व. श्री माँजी मूल जी शाह, उम्र 76 वर्ष, निवासी मालवीय नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

1. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग)
2. मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधक) साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग)
3. महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधक) साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग)
4. मुख्य महाप्रबंधक (ई एवं एम) साउथ ईस्टर्न कोल

फील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग)

5. स्वतंत्र बाह्य निगरानी वरिष्ठ अधिकारी, बी. एस. मिनहास, ए-29, भैरव मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर (राजस्थान)

6. मेसर्स ईमको एलेकोन, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी, कार्यालय वी. वी. नगर, आनंद, गुजरात, द्वारा प्रबंध निदेशक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका

उपस्थित:	
याचिकाकर्ता के लिए:	श्री राजीव श्रीवास्तव एवं मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्र. 1 से 4 के लिए:	श्री प्रवीन दास एवं श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी 6 के लिए:	श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता के साथ

(युगल पीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा एवं श्री आर. एन. चंद्राकर न्यायाधीश)

निर्णय

(18/08/2009 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया।

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 1 से 4 को मानक ऊँचाई वाली यूनिवर्सल ड्रिल मशीन (जिसे आगे यूडीएम कहा जाएगा) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षेप में 'एनआईटी') दिनांक 2-12-2008 के अनुसरण में उत्तरवादी क्र. 6 की तकनीकी बोली को अस्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है और उत्तरवादी क्र. 6 की निविदा को इस आधार पर अस्वीकार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि यह एनआईटी में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुरूप नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता का प्रकरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी क्र. 1 ने दिनांक 2-12-2008 (अनुलग्नक-पी/3) की अपने एनआईटी के माध्यम से यूडीएम की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित किए। निविदाकर्तागण की पात्रता मापदंड परिशिष्ट-ए में निर्दिष्ट हैं। निविदा की शर्तों के खंड 5.1.1 में यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे समान जिनके उपयोग के लिए कोयला

खदानों में डीजीएमएस की स्वीकृति आवश्यक है, उनके लिए केवल वे निविदाकर्ता जिनके उत्पाद को मान्य डीजीएमएस अनुमोदन प्राप्त है और जिन्होंने सीआईएल की किसी सहायक कंपनी/शासकीय उपक्रम में कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उन्हे "सिद्ध स्रोत" माना जाएगा। निविदाकर्तागण को अपने उत्पाद के मूल डीजीएमएस अनुमोदन की प्रति तथा नवीनतम वैधता विस्तार, (यदि कोई हो) प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें सीआईएल या उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी। इन दस्तावेजो को प्रस्तुत न करने पर निविदा को अस्वीकृत किया जा सकता है। परिशिष्ट- अ में आगे यह भी प्रावधान है कि जो उपकरण प्रस्तुत किए जा रहे है, उन्हे सिद्ध तब माना जाएगा जब उस प्रकार और मॉडल के उपकरण को पहले खनन उद्योगों और/या अन्य उद्योगों (निजी या शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) को आपूर्ति किया गया हो और उन्होंने कमीशनिंग की दिनांक से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक संतोषजनक प्रदर्शन किया हो। परिशिष्ट- ब के खंड-3 (अ) में भी इसी प्रकार का प्रावधान है। खंड 27 में यह निर्धारित किया गया है कि जो प्रस्ताव तकनीकी या वाणिज्यिक रूप से निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, वे अस्वीकृति योग्य होंगे। निविदा (भाग-1) खुलने के बाद निविदाकर्तागण से स्पष्टीकरण नहीं मांगे जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिशिष्ट- ब के कारण 12 (घ) में यह प्रावधान है कि निविदाकर्तागण को खंड 3(क) के संदर्भ में मॉडल की सिद्ध प्रकृति के दावे के समर्थन में स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

3. तकनीकी बोली दिनांक 9-2-2009 को खोली गई और पाया गया कि उत्तरवादी क्र. 6 की निविदा तकनीकी विनिर्देशों के साथ-साथ एनआईटी की पात्रता मानदंडों को भी पूरा नहीं करती थी, क्योंकि उत्तरवादी क्र. 6 के पास आपूर्ति प्रतियों के आदेशों द्वारा समर्थित यूडीएम के लिए प्रमाणित प्रमाणपत्र नहीं था। उत्तरवादीगण को धारा 27 के अनुसार दिनांक 9-2-2009 को ही तकनीकी बोली को खारिज कर देना चाहिए था, लेकिन याचिकाकर्ता की विशिष्ट आपत्ति के बावजूद कोई निर्णय नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 5 से शिकायत की (अनुलग्नक-पी/7), जिन्हें एनआईटी के परिशिष्ट एच में उल्लिखित सत्यनिष्ठा समझौते के अनुसार स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि, उत्तरवादी क्र. 5 ने अनुलग्नक-पी/10 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से माना कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि क्रय नियमावली के पैरा 6.17 (**IV**) के अनुसार एकमात्र मानदंड यह है कि मशीन प्रमाणित उपकरण होनी चाहिए और क्रय नियमावली का खंड 6.17 क्रय नियमावली के पैरा 7.22.3 के अधीन नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी क्र. 1 से 4 ने अपने जवाबदावा में कहा है कि याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 6 केवल निविदाकर्ता थे जिन्होंने यूडीएम के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की थी। तकनीकी बोली खोलने के बाद, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 6 द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली खोली गई है और उत्तरवादी क्र. 6 की पेशकश सबसे कम है और निविदा कार्यवाही अंतिम चरण में है। एनआईटी के खंड 27 के अनुसार, एसईसीएल निविदाकर्तागण से कोई भी स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के साथ-साथ उत्तरवादी क्र. 6 से अनुलग्नक-आर/1 के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया था। उत्तरवादी क्र. 6 ने अपनी बोली में कहा है कि उनके द्वारा पेश की गई मशीन का मॉडल ईसीएल में एक वर्ष से अधिक समय से संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। उत्तर देने वाले उत्तरवादीगण ने आंतरिक रूप से ईसीएल से आपूर्ति किए गए उपकरणों के प्रदर्शन की पुष्टि मांगी है। उत्तरवादी क्र. 6 द्वारा ईसीएल को आपूर्ति किया गया उपकरण फेस-कम-रूफ-ड्रिलिंग मशीन (यूडीएम मॉडल- 611) है, जो फील्ड ट्रायल के लिए है और सितंबर, 2007 से ईसीएल द्वारा जारी प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार इसका प्रदर्शन संतोषजनक बताया गया है, जो एनआईटी के तहत आवश्यक एक वर्ष से अधिक है। एनआईटी (क्रय नियमावली) की शर्तों के खंड 6.17 (**IV**) के अनुसार, निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उपकरण को प्रमाणित माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जाएगा, बशर्ते प्रस्तुत किए जाने वाले उपकरण का प्रकार और मॉडल पूर्व में खनन उद्योगों और/या अन्य उद्योगों (निजी या शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को आपूर्ति किया गया हो और कमीशनिंग की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया गया हो। शर्त में कहीं भी यह आवश्यक नहीं है कि निविदाकर्ता ने किसी खनन उद्योग के आदेश के आधार पर उपकरण की आपूर्ति की हो।

5. उत्तरवादी क्र. 6 ने अपने अलग उत्तर में याचिका की विचारणीयता पर इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि याचिकाकर्ता ने निविदा प्रक्रिया में शुरू से अंत तक भाग लिया है, उत्तरवादी क्र. 1 से 4 की कार्यवाही के विरुद्ध बाह्य मॉनिटर से संपर्क करके वैकल्पिक उपाय चुने हैं और अपने द्वारा प्रस्तुत बोलियों के अंतिम परिणाम तक प्रतीक्षा की है, अतः उसे उत्तरवादीगण की कार्यवाही को चुनौती देने से रोका गया है। मूल्य बोली दिनांक 6-7-2009 को खोली गई थी और उत्तरवादी क्र. 6 सबसे कम बोली लगाने वाला था और इस तथ्य को याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर दबाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया है कि पात्रता मानदंड के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और निविदा आमंत्रण सूचना में ऐसा प्रावधान किए बिना इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां

निविदा की आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, वहां निविदा आमंत्रित करने वाले व्यक्ति को उसे अस्वीकार करना होगा। आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। यदि सामान्य छूट का कोई अधिकार नहीं है, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और सख्त अनुपालन के सिद्धांत को लागू किया जाएगा जहां सभी पक्षकारों के लिए सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करना संभव हो।

7. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड विरुद्ध पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एवं अन्य[1], कन्हैया लाल अग्रवाल विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य[2] और बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड विरुद्ध नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड एवं अन्य[3] के प्रकरणों पर अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि इस निर्विवाद तथ्य को देखते हुए कि उत्तरवादी क्र. 6 ने खंड 5.1.1 में उल्लिखित किसी भी कंपनी से प्राप्त आपूर्ति आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं किया है और कम से कम एक वर्ष की संतोषजनक निष्पादन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया, उनकी तकनीकी बोली स्वयं निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 27 के अनुसार अस्वीकृत होने योग्य थी। यद्यपि, उत्तरवादी क्र. 1 ने तकनीकी बोली खोलने

---

[1] (2001) 2 Supreme Court Cases 451

[2] (2002) 6 Supreme Court Cases 315

[3] (2006) 11 Supreme Court Cases 548

के बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बजाय उपरोक्त कमियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जो स्वीकार्य नहीं है।

9. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा और उत्तरवादी क्र. 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 27 एसईसीएल को विवेकाधिकार देती है कि वह निविदाकर्तागण से उनके प्रस्तावों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। यद्यपि, यह एसईसीएल को प्रस्तावकर्तागण से स्पष्टीकरण मांगने से नहीं रोकता है। उत्तरवादी क्र. 6 ने अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया था कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी ईसीएल को यूडीएम की आपूर्ति की है और यह एक वर्ष से अधिक समय से संतोषजनक प्रदर्शन कर रही है। याचिकाकर्ता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया था, यद्यपि, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इसे दबा दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मास्टर मरीन सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड विरुद्ध मेटकाफ एंड हॉजकिन्सन (प्रा.) लिमिटेड और अन्य[4] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संविदात्मक प्रकरणों में, अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग केवल जनहित को आगे बढ़ाने के

[4] (2005) 6 Supreme Court Cases 138

लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी विधिक मुद्दे को उठाने के लिए। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय व्यापक जनहित को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह निष्कर्ष निकाला जाए कि व्यापक जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

11. उत्तरवादी क्र. 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि यह स्थापित विधि है कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय को संविदात्मक प्रकरणों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करने के लिए नहीं बैठता है। न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा का निर्देश दिया जाता है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने ही निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. टाटा सेल्युलर विरुद्ध भारत संघ[5], एयर इंडिया लिमिटेड विरुद्ध कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड एवं अन्य[6], सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट

[5] (1994) 6 Supreme Court Cases 651

[6] (2000) 2 Supreme Court Cases 617

लिटिगेशन विरुद्ध भारत संघ[7], कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध कैवलेट इंडिया लिमिटेड एवं अन्य[8] और सुभाष प्रोजेक्ट्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड विरुद्ध पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य[9] के प्रकरणों पर अवलंब लिया गया है।

13.हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

14.अनुबंध के नियम और शर्तें पूर्वगामी अनुच्छेदों में पुनः प्रस्तुत की गई हैं। निस्संदेह, याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्र. 6, उपकरण यूडीएम के लिए केवल दो बोली दाता थे। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 6 की पात्रता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उसने एक वर्ष की अवधि के लिए आपूर्ति आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता के लिए परिशिष्ट ए की सामान्य शर्तों और निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 5.1.1 के अनुसार आवश्यक है। उसकी तकनीकी बोली को अयोग्य होने के कारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, यद्यपि, उत्तरवादीगण ने खंड 27 के तहत उसकी तकनीकी बोली को अस्वीकार करने के बजाय स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले इस याचिका में उठाई गई अपनी शिकायत के निवारण के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[7] (2000) 8 Supreme Court Cases 606

[8] (2005) 4 Supreme Court Cases 456

[9] (2005) 8 Supreme Court Cases 438

के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार एसईसीएल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मॉनिटर से संपर्क किया। मॉनिटर ने उत्तरवादी एसईसीएल से जवाब प्राप्त करने के बाद शिकायत को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया कि खरीदने वाली कंपनी के लिए क्रय नियमावली के पैरा 7.22.3 के अनुसार पहले परीक्षण आदेश देना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उपकरण एक सिद्ध उपकरण होना चाहिए जैसा कि क्रय नियमावली के पैरा 6.17(**IV**) में निर्धारित है। चूँकि ईसीएल में यूडीएम का कार्यवाही सितंबर, 2007 से एक वर्ष से अधिक समय तक संतोषजनक पाया गया है, अतः यूडीएम की आपूर्ति के लिए मेसर्स इमको को तकनीकी रूप से योग्य बनाने के एसईसीएल प्रबंधन के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है और तदनुसार, मेसर्स सिम्पीक्स इंजीनियरिंग की शिकायत को निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरवादी एसईसीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि एसईसीएल ने दोनों पक्षकारों से स्पष्टीकरण मांगा था और एनआईटी के खंड 27 का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि एसईसीएल के पास उचित प्रकरणों में निविदाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।

16.यह सुस्थापित विधि है कि संविदात्मक प्रकरणों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है, जैसा कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों की श्रृंखला में कहा गया है। याचिकाकर्ता ने बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड (पूर्वेक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया है। उक्त निर्णय के पैरा 66 में इस प्रकार टिप्पणी की गई है:-

हम न्यायिक पुनर्विलोकन के उन नए सिद्धांतों के प्रति भी अपनी आँखें बंद नहीं कर रहे हैं जो विकसित किए जा रहे हैं; लेकिन वर्तमान विधि, उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) यदि आवश्यक शर्तें हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए;

(ii) यदि सामान्य छूट की कोई शक्ति नहीं है, तो सामान्यतः उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और सख्त अनुपालन का सिद्धांत लागू किया जाएगा जहाँ सभी पक्षकारों के लिए ऐसी सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करना संभव हो;

(iii) तथापि, यदि ऐसी किसी भी शर्त के संबंध में सभी पक्षकारों के संबंध में कोई विचलन किया जाता है, तो सामान्यतः फिर से छूट की शक्ति विद्यमान मानी जा सकती है;

(iv) जिन पक्षकारों ने ऐसी छूट का लाभ उठाया है, उन्हें सामान्यतः निविदा अनुबंध के किसी अन्य भाग के अनुपालन के संबंध में भिन्न रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से तब जब वह निविदा की सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन करने की स्थिति में भी न हो, जब तक कि न्यायालय किसी शर्त में छूट को अन्यथा न पाए, जो अनिवार्य प्रकृति की होने के कारण छूट नहीं दी जा सकती थी और इस प्रकार वह पूरी तरह से अवैध थी और अधिकार क्षेत्र से बाहर थी;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) जब समुचित प्राधिकारी द्वारा सभी निविदाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेज़ पर समुचित विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और यदि अंततः यह पाया जाता है कि सफल निविदाकर्तागण ने वास्तव में उस आशय और उद्देश्य का पर्याप्त रूप से पालन किया है जिसके लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई थीं, तो उसमें सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है;

(vi) ठेकेदार आपस में गुरबाजी नहीं कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद, उनकी बोलियों पर विचार किया जाता है और उन्हें सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत दरों से मेल खाने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी;

(vii) जहाँ निर्णय विशुद्ध रूप से जनहित पर लिया गया हो, वहाँ न्यायालय को सामान्यतः न्यायिक संयम बरतना चाहिए।

17.यदि हम उपरोक्त निर्णय में निर्धारित विधि के सिद्धांतों को लागू करते हैं, जिस पर स्वयं याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया है, तो हम पाते हैं कि खंड-27 में प्रावधान है कि जो प्रस्ताव तकनीकी या व्यावसायिक रूप से निविदा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाएं (भाग-1) खुलने के बाद निविदाकर्तागण से स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है। एसईसीएल बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपरोक्त प्रावधान का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि एसईसीएल को निविदाकर्तागण से स्पष्टीकरण मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा भी, दोनों निविदाकर्तागण से उनके प्रस्तावों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है और अतः, उत्तरवादी क्र. 6 से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एसईसीएल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.जहाँ तक अन्य आपत्ति का प्रश्न है कि उत्तरवादी क्र. 6 ने प्रमाणित उपकरण स्थापित करने के लिए खनन कंपनी से कमीशनिंग की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, ईसीएल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि उत्तरवादी क्र. 6

द्वारा आपूर्ति किया गया यूडीएम सितंबर, 2007 से अपने संगठन में कार्य कर रहा है और एसईसीएल ने सत्यापित किया है कि प्रदर्शन संतोषजनक है, अतः, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उत्तरवादी क्र. 6 की तकनीकी बोली को इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए था कि वह एनआईटी की शर्तों के अनुसार भाग लेने के योग्य नहीं था और वह कोई आधार नहीं रखता है।

19.स्थापित विधि के अनुसार संविदात्मक प्रकरणों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग केवल जनहित को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है, न कि केवल कुछ तकनीकी त्रुटियों के आधार पर और याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद एक वाणिज्यिक विवाद है जिसमें कोई सार्वजनिक तत्व नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हम ऐसे संविदात्मक प्रकरणों में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.याचिका तदनुसार खारिज की जाती हैं।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/- **सही/-**

धीरेन्द्र मिश्रा **आर. एन. चंद्राकर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....SONIA KULDEEP .....